

बिहार सरकार
निर्वाचन विभाग

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार का कार्यालय
7, सरदार पटेल मार्ग (मैंगल्स रोड), बिहार, पटना - 800015

दूरभाष सं०:- 0612-2217956
फैक्स:- 0612-2215611/2215978
ई-मेल:- ceo_bihar@eci.gov.in

Press Release

दिनांक :- 08.10.2015

1. बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2015 को निष्पक्ष एवं स्वतंत्र रूप से संपन्न कराने हेतु भारत निर्वाचन आयोग एवं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार के कार्यालय से दिये गये निदेश के आलोक में पूरे राज्य में अवैध देशी/विदेशी शराब के विरुद्ध, छापामारी अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत आज कुल 6,688 लीटर अवैध शराब एवं भोजपुर जिला में 6 डेटोनेटर के साथ 1 Coil तार जब्त किया गया।

पश्चिम चम्पारण जिला में `15,34,000/-, वैशाली जिला में `6,80,250/- एवं बक्सर जिला में `1,66,000/- जाँच के दौरान प्राप्त हुए जिसकी छानबीन पुलिस तथा आयकर अधिकारियों द्वारा की जा रही है।

2. आदर्श आचार संहिता के Enforcement के द्वारा आज निम्नलिखित मामले दर्ज हुए :-

Defacement in Public Property (Wall Writing, Posters, Banners, Others)	23
Misuse of Vehicle (Beacon, light, Flag)	4
Violation of Loudspeaker Act	3
Inducement /gratification to Electors/Cash, kind Distribution	1
Others	6

3. Law & Order के तहत निम्नलिखित मामले आज सामने आए :-

No. of Arms/Weapons seized	2
No. of cartridges seized	1
No. of Bombs seized	7
No. of Licensed Arms deposited	808
No. of Licensed Arms Cancelled	70
No. of persons bound down under preventive section of Cr. PC	6.963
No. of non-bailable warrants executed	485

Fine collected in vehicle checking	Rs. 11,69,980
4. उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग द्वारा निम्नलिखित कार्रवाई आज की गई :-	
No. of prohibition cases registered	50
No. of raids conducted	146
Volume of illicit liquor seized during raids	3,834 litre
No. of persons arrested	73
Amount of fine imposed	Rs. 1,36,000

5. बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2015 के अवसर पर पंचम चरण के जिलों यथा मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा, सहरसा एवं दरभंगा जिला के कुल 57 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों यथा 31-हरलाखी, 32-बेनीपट्टी, 33-खजौली, 34-बाबूबरही, 35-बिस्फी, 36-मधुबनी, 37-राजनगर (अ.जा.), 38-झंझारपुर, 39-फुलपरास, 40-लौकहा, 41-निर्मली, 42-पिपरा, 43-सुपौल, 44-त्रिवेणीगंज (अ.जा.), 45-छातापुर, 46-नरपतगंज, 47-रानीगंज (अ.जा.), 48-फारबिसगंज, 49-अररिया, 50-जोकीहाट, 51-सिकटी, 52-बहादुरगंज, 53-ठाकुरगंज, 54-किशनगंज, 55-कोचाधामन, 56-अमौर, 57-बायसी, 58-कसबा, 59-बनमनखी (अ.जा.), 60-रूपौली, 61-धमदाहा, 62-पूर्णियां, 63-कटिहार, 64-कदवा, 65-बलरामपुर, 66-प्राणपुर, 67-मनिहारी (अ.ज.जा.), 68-बरारी, 69-कोढ़ा (अ.जा.), 70-आलमनगर, 71-बिहारीगंज, 72-सिंहेश्वर (अ.जा.), 73-मधेपुरा, 74-सोनबरसा (अ.जा.), 75-सहरसा, 76-सिमरी बख्तियारपुर, 77-महिषी, 78-कुशेश्वरस्थान (अ.जा.), 79-गौड़ाबौराम, 80-बेनीपुर, 81-अलीनगर, 82-दरभंगा ग्रामीण, 83-दरभंगा, 84-हायाघाट, 85-बहादुरपुर, 86-केवटी एवं 87-जाले विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित अधिसूचना आज दिनांक 08.10.2015 को जारी कर दी गयी है। उक्त विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों हेतु नाम-निर्देशन करने की अंतिम तारीख 15 अक्टूबर, 2015, नाम-निर्देशन की संवीक्षा की तारीख 16 अक्टूबर, 2015, अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अंतिम तारीख 19 अक्टूबर, 2015 एवं मतदान की तारीख 5 नवम्बर, 2015 निर्धारित है।

6. नामांकन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य

- नामांकन निर्वाची पदाधिकारी या निर्वाची पदाधिकारी द्वारा प्राधिकृत सहायक निर्वाची पदाधिकारी के समक्ष आम सूचना में उल्लेखित स्थल पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित तिथि को 11:00 बजे पूर्वाह्न से 03:00 बजे अपराह्न तक दिया जा सकता है।
- अभ्यर्थी के लिए विधान सभा निर्वाचन के लिए 25 वर्ष आयु की अर्हता होनी चाहिए।

- अभ्यर्थी बिहार राज्य के किसी भी विधान सभा क्षेत्र के निर्वाचक हो सकते हैं जबकि प्रस्तावक के लिए उसी विधान सभा क्षेत्र का निर्वाचक होना आवश्यक है।
 - सामान्य कोटि के अभ्यर्थी के लिए 10 हजार रुपये की जमानत राशि निर्धारित है। अनुसूचित जाति एवं जन जाति के मामले में जमानत राशि 5 हजार निर्धारित है।
 - विधान सभा निर्वाचन के लिए प्ररूप-2ख में नामांकन दाखिल किया जाना है।
 - प्ररूप-2ख के साथ अभ्यर्थी प्ररूप-26 में प्रतिशपथ पत्र में विभिन्न विषयों पर यथा न्यायालय में लम्बित मामले, दर्ज मामले, सजा, शैक्षणिक योग्यता, दायित्वों आदि की विवरणी प्रस्तुत करेंगे। प्ररूप-26 एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जिसे नामांकन की अन्तिम तिथि के 03:00 बजे अपराह्न तक निर्वाची पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
 - प्ररूप-26 पूर्ण रूप से भरे होने चाहिए। अपूर्ण प्ररूप-26 दाखिल करने के स्थिति में निर्वाची पदाधिकारी द्वारा अभ्यर्थी को नोटिस निर्गत किये जायेंगे।
 - राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय दल (बिहार के मामले में 6 राष्ट्रीय एवं 4 राज्य स्तरीय दल हैं) के मामले में एक प्रस्तावक की आवश्यकता होगी। राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय से भिन्न अभ्यर्थी के लिए 10 प्रस्तावक की आवश्यकता होगी।
 - नामांकन के समय अधिकतम 3 वाहन निर्वाची पदाधिकारी के कार्यालय कक्ष के 100 मीटर की परिधि में जा सकते हैं।
 - नामांकन के समय अभ्यर्थी समेत कुल 5 व्यक्ति उपस्थित रह सकते हैं।
 - मान्यता एवं गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों द्वारा अपने अभ्यर्थियों के लिए प्ररूप-ए एवं बी निर्गत किये जायेंगे जिसके आधार पर उनको उक्त श्रेणियों में अन्य आवश्यक अर्हता होने पर मान्यता दी जायेगी।
 - बिहार राज्य के लिए अधिसूचित अनुसूचित जाति एवं जन जाति के श्रेणी में आने वाले अभ्यर्थी संबंधित आरक्षित क्षेत्रों में अभ्यर्थी के रूप में खड़े हो सकते हैं।
 - अभ्यर्थियों के छायाचित्र मतपत्र पर मुद्रित होंगे। सभी अभ्यर्थी आयोग द्वारा दिये गये निदेश के आलोक में अपना नवीनतम छायाचित्र नामांकन के समय निर्वाची पदाधिकारी को उपलब्ध करायेंगे।
7. बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2015 के अवसर पर तृतीय चरण के विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों हेतु आज दिनांक 08.10.2015 को निम्नलिखित विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों से नाम-निर्देशन पत्र दाखिल हुआ है :-

जिला का नाम	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का संख्या एवं नाम	आज दाखिल नाम-निर्देशन पत्रों की संख्या	अंतिम तिथि तक दाखिल कुल नाम-निर्देशन पत्रों की संख्या
1	2	3	4
सारण	113-एकमा	3	11
	114-मांझी	7	22
	115-बनियापुर	7	13
	116-तरैया	3	14
	117-मढ़ौरा	1	13
	118-छपरा	4	19
	119-गरखा (अ0जा0)	3	12
	120-अमनौर	4	16
	121-परसा	4	14
	122-सोनपुर	3	14
वैशाली	123-हाजीपुर	6	22
	124-लालगंज	3	18
	125-वैशाली	7	21
	126-महुआ	8	28
	127-राजापाकर (अ0जा0)	8	18
	128-राघोपुर	5	21
	129-महनार	7	25
	130-पातेपुर (अ0जा0)	2	22
नालन्दा	171-अस्थवाँ	3	12
	172-बिहारशरीफ	5	13
	173-राजगीर (अ0जा0)	9	20
	174-इस्लामपुर	10	23
	175-हिलसा	3	20
	176-नालन्दा	8	14
	177-हरनौत	6	15
पटना	178-मोकामा	12	22
	179-बाढ़	9	17
	180-बख्तियारपुर	9	17
	181-दीघा	15	37
	182-बाँकीपुर	5	23
	183-कुम्हरार	9	34
	184-पटना साहिब	9	19

	185-फतुहा	3	16
	186-दानापुर	6	13
	187-मनेर	8	17
	188-फुलवारी (अ0जा0)	7	20
	189-मसौढ़ी (अ0जा0)	7	20
	190-पालीगंज	3	16
	191-बिक्रम	11	25
भोजपुर	192-संदेश	6	13
	193-बड़हरा	2	12
	194-आरा	2	12
	195-अगिआँव (अ0जा0)	2	7
	196-तरारी	3	15
	197-जगदीशपुर	7	25
	198-शाहपुर	2	14
बक्सर	199-ब्रहमपुर	2	13
	200-बक्सर	13	33
	201-डुमराँव	5	20
	202-राजपुर (अ0जा0)	3	14
कुल योग		289	914

इस प्रकार तृतीय चरण हेतु नाम-निर्देशन करने की आज दिनांक 08.10.2015 को अंतिम तिथि तक कुल 914 नाम-निर्देशन पत्र दाखिल हुआ है। इस चरण हेतु नाम-निर्देशन की संवीक्षा की तारीख 9 अक्टूबर, 2015, अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अंतिम तारीख 12 अक्टूबर, 2015 एवं मतदान की तारीख 28 अक्टूबर, 2015 निर्धारित है।

8. बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2015 के अवसर पर चतुर्थ चरण के विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों हेतु आज दिनांक 08.10.2015 को निम्नलिखित विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों से नाम-निर्देशन पत्र दाखिल हुआ है :-

जिला का नाम	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का संख्या एवं नाम	आज दाखिल नाम-निर्देशन पत्रों की संख्या
1	2	3
पश्चिम चम्पारण	3-नरकटियागंज	2
	6-नौतन	1
	8-बेतिया	2

	9-सिकटा	1
पूर्वी चम्पारण	10-रक्सौल	2
	11-सुगौली	1
	12-नरकटिया	2
	13-हरसिद्धि (अ0जा0)	1
	17-पिपरा	1
	18-मधुबन	2
	19-मोतिहारी	1
	20-चिरैया	1
	सीतामढ़ी	23-रीगा
24-बथनाहा (अ0जा0)		1
26-सुरसंड		2
28-सीतामढ़ी		2
29-रून्नीसैदपुर		1
30-बेलसंड		1
मुजफ्फरपुर	88-गायघाट	3
	89-औराई	2
	90-मीनापुर	1
	91-बोचहाँ (अ0जा0)	1
	92-सकरा (अ0जा0)	1
	95-काँटी	6
	96-बरुराज	1
	97-पारू	1
गोपालगंज	100-बरौली	2
	101-गोपालगंज	2
	104-हथुआ	1
सिवान	111-गोरेयाकोठी	1
कुल योग		47

इस प्रकार चतुर्थ चरण हेतु आज तक कुल 102 नाम-निर्देशन पत्र दाखिल हो चुका है।

9. बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2015 के अवसर पर पंचम चरण के विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों हेतु आज दिनांक 08.10.2015 को निम्नलिखित विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों से नाम-निर्देशन पत्र दाखिल हुआ है :-

जिला का नाम	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का संख्या एवं नाम	आज दाखिल नाम-निर्देशन पत्रों की संख्या
1	2	3
मधुबनी	36-मधुबनी	1
	38-झंझारपुर	2
सुपौल	43-सुपौल	1
अररिया	49-अररिया	1
दरभंगा	80-बेनीपुर	1
	85-बहादुरपुर	1
कुल योग		7

इस प्रकार पंचम चरण हेतु आज कुल 7 नाम-निर्देशन पत्र दाखिल हुआ है।

10. बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2015 के अवसर पर मतदान के समय निर्वाचकों की पहचान के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निम्नलिखित वैकल्पिक दस्तावेजों की सूची जारी की गयी है :-

- 1 पासपोर्ट
- 2 ड्राइविंग लाइसेंस
- 3 राज्य/केन्द्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र
- 4 बैंको/डाकघरों द्वारा जारी किए गए फोटोयुक्त पासबुक
- 5 पैन कार्ड
- 6 आरजीआई एवं एनपीआर द्वारा जारी किये गये स्मार्ट कार्ड
- 7 मनरेगा जॉब कार्ड
- 8 श्रम मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड
- 9 फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज
- 10 निर्वाचन तंत्र द्वारा जारी प्रमाणिक फोटो मतदाता पर्ची एवं
- 11 सांसदों, विधायकों/विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र।
